

मांग संख्या 55
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय हेतु ₹ 35.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 35,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

आगनबाड़ी केन्दों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक योजना अन्य व्यय हेतु ₹ 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3 से 9

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत ₹ 5380.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 53,80,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 10

नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत ₹ 100.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 11

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 12

मुख्यमंत्री अमृत योजना अन्तर्गत पोषण आहार व्यय हेतु ₹600.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 13 से 15

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना अंतर्गत ₹ 41.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 41,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 16 से 17

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत भवन निर्माण के लिए ₹ 250.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,50,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।